**भारत सरकार**

**नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 4170**

**बुधवार, दिनांक 18 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने हेतु**

**पीएम-कुसुम के अंतर्गत राजसहायता की समीक्षा**

**4170. श्री श्रीभरत मतुकुमिल्ली:**

**क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्या सरकार ने विशेषकर अत्यंत निम्न भूजल स्तर वाले क्षेत्रों में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) के अंतर्गत विद्यमान राजसहायता के प्रावधान की समीक्षा की है, जिसके अंतर्गत वर्तमान में 7.5 एचपी तक की क्षमता वाले स्टैंडअलोन सौर कृषि पंपों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का निम्न भूजल उपलब्धता वाले क्षेत्रों में किसानों के लिए प्रभावी सिंचाई सुविधा सुनिश्चित करने हेतु उच्च क्षमता वाले सौर पंपों की स्थापना की अनुमति देने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विशेषकर लघु एवं सीमांत किसानों के लिए सौर पंपों की बहनीयता के संबंध में कोई आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो डिजाइन, सामग्री और दक्षता में नवाचारों के माध्यम से सौर पंपिंग प्रणालियों की लागत को कम करने के उद्देश्य से अनुसंधान और विकास का संवर्धन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) क्या स्वदेशी विनिर्माण, स्टार्टअप और अनुसंधान संस्थानों को लागत प्रभावी सौर पंप प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु कोई वित्तीय सहायता तंत्र प्रदान किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री**

**(श्री श्रीपाद येसो नाईक)**

(क) और (ख): पीएम-कुसुम दिशानिर्देशों में सौर पंपों द्वारा भूजल के अत्यधिक दोहन की समस्या के समाधान हेतु एक प्रावधान है।

योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, केंद्रीय भूमिजल बोर्ड (CGWB) द्वारा अधिसूचित डार्क ज़ोन/ब्लैक ज़ोन/अत्यधिक दोहन वाले क्षेत्रों (over-exploited areas) में नए पंप लगाने की अनुमति नहीं है। तथापि, इन क्षेत्रों में मौजूदा स्टैंडअलोन डीज़ल पंपों को स्टैंडअलोन सौर पंपों में परिवर्तित किया जा सकता है, बशर्ते कि वे जल बचाने के लिए सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों का उपयोग करें।

पीएम-कुसुम योजना के तहत सब्सिडी की राशि में संशोधन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, क्योंकि इस योजना की अंतिम तिथि 31.03.2026 है।

(ग़) पीएम कुसुम योजना के घटक बी के तहत, बेंचमार्क लागत या निविदा दरों में से जो भी कम हो, उसका 30% (या उत्तर पूर्वी क्षेत्र/पहाड़ी क्षेत्र/द्वीपों के लिए 50%) केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। राज्य भी न्यूनतम 30% राज्य का हिस्सा प्रदान कर रहे हैं, और शेष 40% किसान द्वारा वहन किया जाना है।

तथापि, पीएम कुसुम योजना 'कृषि अवसंरचना कोष' (Agricultural Infrastructure Fund) के अंतर्गत शामिल है, जो 6% की आसान ब्याज दर पर वित्तपोषण प्रदान करती है। वर्तमान में डीज़ल की कीमत लगभग 87 रुपये प्रति लीटर है; और प्रतिदिन 4.6 लीटर की खपत (5 एचपी पंपों के लिए) मानते हुए, किसान एक वर्ष में लागत को वसूल कर सकता है।

(घ) और (ङ): पीएम कुसुम योजना के तहत, घटक-ख और घटक-ग में, स्वदेशी सोलर सेल वाले, देश में ही निर्मित सोलर पैनल का उपयोग करना अनिवार्य किया गया है। योजना के दिशानिर्देशों में उन्नत सौर पंपों को भी योजना के प्रावधानों के तहत अपनाने की अनुमति दी गई है। प्रस्तावित नवाचारों को राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान (NISE) के माध्यम से क्षेत्र प्रदर्शन और प्रयोगशाला परीक्षण से गुजरना होगा।

*****